

स्पीड पॉस्ट



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्ता, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) यूलाइ / फँक्स : 05940-220003, ईमेल : cfwestern49@rediffmail.com.

पत्रांक- 161 / 12-1 / हल्द्वानी, विनाका, युलाई, 23 2021

सेवा में,

अपर प्रभुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्डिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के नियन्त्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेएर वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका ई0डी0एस0 दिनांक 12.04.2021

महोदय,

उपरोक्त जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के नियन्त्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेक्टेएर वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 12.04.2021 से आपत्तियाँ लगायी गयी थी। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर द्वारा उक्त आपत्तियों का उत्तरालेख अपनी पत्र संख्या 177 शिरो/12-1 दिनांक 19.07.2021 से इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जो कि निम्न प्रकार है:-

EDS	Reply
<u>For Point No. 1,2,4,8-</u> In reply it is said that it is a fresh proposal and no violation takes place but in Part II- violation detail is filled as 'YES', which is contradictory. Kindly clarify.	There is no violation in this case since its a fresh proposal for new construction which is corrected by Division in online portal.
<u>For Point No.3-</u> Kindly upload the correct SIR at relevant place in Part II, which is not found uploaded.	प्रभाग स्तर से आपत्ति का ऑन लाईन निराकरण किया गया है।
<u>For Point No.7-</u> Kindly upload the Tree enumeration list and CA scheme authenticated by DFO as additional information individually by name in remark column.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध अभिलेख ऑन लाईन अपलोड किये गये हैं तथा प्रभाग स्तर से आपत्ति का ऑन लाईन निराकरण किया गया है।

७८५८

EDS	Reply
For Point No. 9- Kindly upload the certificate regarding the muck disposal, along with the quantitative estimation of the amount of muck generated and where it will be used.	The Muck generated during construction is proposed to be used in the leveling of ground and backfilling in the proposed building. Hence no Muck disposal plan is required.
For Point No. 10- Kindly submit the copy of all the alternate lay out plan along with no. and list of trees affected in each plan.	The required layout map/concept plan of proposed land has been uploaded earlier. There is no alternative layout and the list of affected trees has been provided in form-15 of the proposal.

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना मय संलग्नक के संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।
संलग्न—उपरोक्तानुसार।

मवदीय,

Joshi

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 161 / उक्तादिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, लद्धपुर को उनकी पत्र संख्या-177शि०/12-१ दिनांक 19.07.2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

Joshi

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

01/

U

कार्यालय – प्रभागीय वनाधिकारी

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर

निकट विकास भवन, कोशागार, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड। फोन नं. 05944 250000, ई-मेल dfoic-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं० |३८३० / १२-१, रुद्रपुर

दिनांक १९।७। 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
परिचमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के नियन्त्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 है० वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (Online No. FP//UK/DISP/114282 /2020)।

संदर्भ:- प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी का पत्र ८९८०/जीएमसी/एल-१/भूमि दिनांक ११.०५.२०२१ एवं ई०डी०एस० दिनांक १२.०४.२०२१

महोदय,

उपरोक्त विषयक ई०डी०एस० दिनांक ०२.०३.२०२१ में लगायी गयी आपत्तियों में प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के पत्रांक ८९८०/जीएमसी/एल-१/भूमि दिनांक ११.०५.२०२१ द्वारा तथा इस कार्यालय से सम्बन्धित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना सेवा में सादर प्रेषित है—

<p>For Point No. 1,2,4,8- It is not clear Whether proposal submitted for regularization or new construction. State Govt. may submit clarification in this regard.</p>	<p>There is no violation in this case since its a fresh proposal for new construction। प्रभाग स्तर से आपत्ति का ऑन लाईन निराकरण किया गया है। संलग्नक-1</p>
<p>For Point No.3- Kindly upload the correct SIR at relevant place in part II, which is not found uploaded.</p>	<p>प्रभाग स्तर से आपत्ति का ऑन लाईन निराकरण किया गया है। संलग्नक-2</p>
<p>For Point No.7- Kindly upload the Tree enumeration list and CA scheme authenticated by DFO as additional information individually by name in remark column.</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध अभिलेख ऑन लाईन अपलोड किये गये हैं तथा प्रभाग स्तर से आपत्ति का ऑन लाईन निराकरण किया गया है। संलग्नक-3</p>

For Point No. 9- Kindly upload the certificate regarding the muck disposal, along with the quantitative estimation of the amount of muck generated and where it will be used.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि The Muck generated during construction is proposed to be used in the leveling of ground and backfilling in the proposed building. Hence no Muck disposal plan is required.
For Point No. 10- Kindly submit the copy of all the alternate lay out plan along with no. and list of trees affected in each plan.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि The required layout map/concept plan of proposed land has been uploaded earlier. There is no alternative layout and the list of affected trees has been provided in form-15 of the proposal. रांगनक-4

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

मध्यदीया,
 (डॉ अभिलाषा सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 तुराई केन्द्रीय वन प्रभाग, लद्पुर

सं० १३७६५० / १२-१....उक्तादिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ अभिलाषा सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 तुराई केन्द्रीय वन प्रभाग, लद्पुर

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (नैनीताल)

पूरमाण: 05946-255255, फैक्स-05946-282678

ईमेल- principal.gmchld@gmail.com

पत्रांक :- ८९८० /जीएमसी /एल-१/भूमि

हल्द्वानी, ११, मार्च, २०२१

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
विकास भवन के पीछे, रुद्रपुर, जिला-उधम सिंह नगर।

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी द्वारा 4.25 हेक्टर वन भूमि हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन अपलोड किये गये प्रस्ताव संख्या- FP/UK/DISP/114282/2020 पर नोडल कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्ति।

संदर्भ:- एम०ओ०इ०एफ० के पत्रांक-८बी.यू.सी.पी./०९/२१/२०२१/एफ०सी०/२३७३, दिनांकित २६ फरवरी २०२१ एवं आपके पत्रांक १३९८/१२-१, दिनांकित २२.०३.२०२१ पर ~~कार्यालय कार्यालय~~ द्वारा निम्नलिखित अपेक्षित जवाब।

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से 4.25 हेक्टर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या- FP/UK/DISP/114282/2020 में एम०ओ०इ०एफ० द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण ऑनलाइन प्रेषित किया गया था जिस पर नोडल कार्यालय द्वारा आपत्ति लगायी गयी है। उक्त आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है-

- 1- **For Point No- 1,2,4,8** There is no violation in this case since it's a fresh proposal for new construction. Hence the correct informations are to be filled as per non violation from your end.
- 2- **For Point No- 3** The correct SIR is to be uploaded from your end.
- 3- **For Point No- 7** For duly authenticated tree enumeration list and CA scheme by the DFO Pithoragarh, the letter No- 8962 dated 10-05-2021 have been sent. Kindly pursue him from your end for soon reply.
- 4- **For Point No- 9** The Muck generated during construction is proposed to be used in the leveling of ground and backfilling in the proposed buildings. Hence no Muck disposal plan is required.
- 5- **For Point No- 10** The required layout map/concept plan of proposed land has been uploaded earlier. There is no alternative layout and the list of affected trees has been provided in form-15 of the proposal.

उक्त विन्दु संख्या-७ की सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ से प्राप्त होते ही सूचना ऑनलाइन अपलोड कर दी जायेगी। उक्तानुसार अवगत होते हुए 4.25 हेक्टर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करेंगी।

भवदीय,

(डॉ चन्द्र प्रकाश)

प्राचार्य,

राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।

सं.- ८९८० / (१) ८-१/२५४. उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107, चन्द्र नगर, देहरादून।

प्रपत्र-५**SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF**

(For the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Government Medical College Haldwani, District Nainital Uttarkhand (Department of Medical Education Uttarakhand) for diversion under FCA-1980) of 4.25 hectare of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of State Cancer Institute & associated buildings at Government Medical College Haldwani Distt Nainital .The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated:- ..01/01/2021.

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 4.25 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. YES

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area.
If, so the details thereof :- NIL

5.5 Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- NIL

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. YES

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. NO

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(Signature) 

Place:-....HARDWANI.....

Name.....प्रभागीय वनस्पतिकारी,

Date.....01/01/2021.....

Designation.....सराइ क्षेत्रीय वन विभाग,

Office Seal ..गढ़वाल, क्षेत्रीय सिंहनगर

N.B. State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

क्षतिपूरक गृहारोपण का प्रायकलन

परियोजना विवरण:- मैनीताल में स्थित शाजमाही गेडिकाल कालेज हल्दानी के नियंत्रणाधीन स्कूल राम फैसर घिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्दानी का विस्तारीकरण करते हुए राज्य फैसर संस्थान तथा संकाश रोग घिकित्सालय की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 हेठले घर भूमि का हररातिरण।

घरारोपण स्थल का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ घोर रगतोली में 0.6 हेठले सिविल घर भूमि रोपित किये जाने वाले पीछों की संख्या:- 1100

प्रथम चरण

क्रम सं०	कार्य का नाम	गात्रा	इकाई	इकाई दर (₹०)	प्रति	घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्व एवं सीमांकन	1	हेठले	147	हेठले	147
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान)	0.6	हेठले	887	हेठले	532.2
3	लेटाना/काला बांसा/गाऊर घास					
अ	लेटाना काला बांसा/गाऊर घास को जैड से	0.4	हेठले	6608.68	हेठले	2643.472
ब	लेटाना काला बांसा/गाऊर घास को क्षेत्र के बाहर नष्ट करना	0.4	हेठले	2202.5	हेठले	881
4	जल संरक्षण कार्य	1	हेठले	11700	हेठले	11700
5	कंटूर फर्न खुदान (600 रुपये/प्रति हेठले)	600	रुपये/हेठले	11.14	प्रति हेठले	6684
6	आग्रह दीवाल बन्दी (फास्टिंग) 200घन मी०	90	घन मी०	478	प्रति घन	43020
7	गडडे खुदान (0.30X0.30X0.45)	1100	हेठले	11.14	हेठले	12254
8	निरीकण बटिया बनाना	1	हेठले	737	हेठले	737
9	पीछों की कीमत (प्रथम घर) (10 % अतिरिक्त)	1210	हेठले	8.7	हेठले	10527
10	रोपण क्षेत्र में प्रवेश हेतु दो तरफा सीढ़ी	1	संख्या	1006	प्रति सीढ़ी	1006
11	अन्यथा जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार दोज करना व यर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गडडे खोदना	1	हेठले	470	हेठले	470
योग प्रथम चरण						90601.672

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गडडे भरन का कार्य (0.30X0.30X0.45)	1100	गडडे	1.75	गडडे	1925
2	पीछों की कीमत (द्वितीय घर) कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	1210	पीछ	1.75	पीछ	2117.5
3	पीछ ढुलान कार्य	1210	पीछ	9.7	पीछ	11737
4	पीपारोपण व थालबन्दी	1100	गडडे	3.13	गडडे	3443
5	कंटूर फर्न में बीज बुयाई	600	रुपये/हेठले	1.05		630

प्रभागीय नन अधिकारी
पिथौरागढ़ ज़िले प्रभाग
किंचन्द राम

6	निराइ गुड़ाइ व गलिंग (दो बार) (@1.15X2)	1100	ग्रामे	2.3	ग्रामे	2530
7	खाद्य प दवा पर व्यय	1100	₹०	0.32	₹०	352
8	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देखरेख प रखरखाव पर व्यय	1	₹०	7235	₹०	7235
9	कंट्रूर फरे खुदान कार्य जल संरक्षण हेतु	1000		11.14		11140
10	1- वृक्षरोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति ₹०	1	₹०	350	₹०	350
	2- सुखा दीवाल/धेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1	₹०	225	₹०	225
	3- वृक्षरोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुखा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुखा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	₹०	400	₹०	400
11	अन्य व्यय साइन बोडे, पौध दुकान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि कय वृक्षरोपण के रामय वर्षों से बदने हेतु पोलीथीन रीट कय वर्ष में 2-3 बार कोटोग्रफी फील्ड स्टारीय कार्यों को प्रधार-प्रसार एवं डेक्यूटेशन आदि कार्य।	1	₹०	700	₹०	700
	योग द्वितीय चरण					42784.5

तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹०	10852.	₹०	10852
2	2.1- वृक्षरोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति ₹०	1	₹०	350	₹०	350
	2.2- सुखा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	₹०	225	₹०	225
	2.3 वृक्षरोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुखा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुखा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	₹०	400	₹०	400
3	कंट्रूर फरे खुदान जल संरक्षण हेतु	1000	₹०मी०	11.14	प्रति ₹०मी०	11140
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	32	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	7377.6
	योग तृतीय चरण					30344.6

प्रभागीय विभाग
पियोराइज़ १२ प्रभाग
पियोराइज़

घरुर्ध चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹0	10852	₹0	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति ₹0	1	₹0	350	₹0	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पद्धती साफ करना	1	₹0	225	₹0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्स्वेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	₹0	400	₹0	400
3	पाटर हार्डस्टिंग टैंक निर्माण	4	संख्या	4500		18000
	योग घरुर्ध चरण					29827

पंचम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹0	10852	₹0	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति ₹0	1	₹0	350	₹0	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पद्धती साफ करना	1	₹0	225	₹0	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उत्स्वेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	₹0	400	₹0	400
	योग पंचम चरण					11827

षष्ठम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹0	10852	₹0	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति ₹0	1	₹0	350	₹0	350

प्रभागीय चरण प्रभागीय
प्रभागीय चरण प्रभाग
प्रभागीय चरण

2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1 हौ०	225	हौ०	225
2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1 हौ०	400	हौ०	400
3 यानस्पतिक घैक डेम निर्माण कार्य	5 संख्या	4500	प्रति	22500
4 कुली वालिंग मरम्मत कार्य	30 घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	6916.5
योग बष्टम चरण				41243.5

सप्तम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1 रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1 हौ०		10852	हौ०		10852
2 2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हौ०	1 हौ०		350	हौ०		350
2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1 हौ०		225	हौ०		225
2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1 हौ०		400	हौ०		400
3 बाटर हार्डिंग टैंक निर्माण	5 संख्या	4500	प्रति	22500		
योग सप्तम चरण						34327

बष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1 रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1 हौ०		10852	हौ०		10852
2 2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हौ०	1 हौ०		350	हौ०		350
2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1 हौ०		225	हौ०		225
2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1 हौ०		400	हौ०		400

प्रभागीय नम अधिकारी
पियालगढ़ नव प्रभाग
पियालगढ़

3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	10374.75
	योग अष्टम घरण					22201.75

नवम् घरण


1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹०	10852	₹०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	₹०	350	₹०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पद्धटी साफ करना	1	₹०	225	₹०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्धित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	₹०	400	₹०	400
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	10374.75
	योग नवम् घरण					22201.75

दशम् घरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	₹०	10852	₹०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	₹०	350	₹०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पद्धटी साफ करना	1	₹०	225	₹०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्धित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	₹०	400	₹०	400
	योग दशम् घरण					11827
	कुल योग (प्रथम घरण से दशम घरण)				या 337185.72	
					या 337184.00	

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है०
योजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 4.25×2
क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु कुल घनराशि $8.5 \text{ ₹०} \times 337184 = 28,66,064/-$

$$\begin{aligned} & 337184 \text{ ₹०} \\ & = 8.5 \text{ ₹०} \end{aligned}$$



परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के विधानसभा हॉल्डनी में तल्ली हॉल्डनी स्टाट संख्या 4 में खामी चाप कैसर अनुसंधान की स्थापना हेतु निर्माण कार्य।

प्रस्तुत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांकों को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रमाणित होने वाले वृक्षों की गणना की गयी व निरीक्षण के दौरान प्रमाणित होने वाले वृक्षों की निनानुसार गणना की गयी।

आरक्षित वन भूमि पर प्रमाणित मूल्य

ब्रह्मसं ट	वन ट का नाम	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ण								कुल मूल्य (₹० मी)	वृक्षों का मूल्य					
				10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90							
1	सापन हस्त पाइप	टेस्टोन	4	44	28	14	3	0	1	0	1	95	67.704	2207506.00				
2	सर्पोन चुड़ा	टेक्टोन पाइप	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.639	15716.00				
3	कन्धू इन्द्रियोलिय	होलोपेतिया प्रिन्टिगोलिय	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2.549	16528.00				
4	बक्कन अमरहारा	गोतिया उमरहारा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1.104	1526.00				
5	बोरप तिल	आलस्टोरिया प्रिन्टिगोलिया	0	1	2	0	2	3	0	0	0	8	12.768	459096.00				
6	चाढ़ा वन बाट साट संख्या 150	जलदीना निनानालोलिया	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1.104	1526.00				
सम्पूर्ण		प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80		
01	यूक्टिन्ट हस्त	यूक्टिन्ट हाइलिड	3	19	47	25	42	33	37	14	07	02	05	01	01	236	273.772	814842.00
02	यूक्टिन्टट चुड़ा	यूक्टिन्टट प्रायिक	0	01	0	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2.563	6047.00
															347	-	2701898.00	

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम
स्टाट संख्या 4
वन भूमि पर प्रमाणित मूल्य

प्रमाणित वनाविधारी
तस्वीर केन्द्रीय वन प्रभाग
लद्धपुर, उत्तरप्रदेश, भारत